विधि विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 2019

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—2/2019—लेज.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10—4—2019 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) को वर्ष 2019 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई—राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
यशवंत सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019

धाराओं का क्रम

धारा :

अध्याय— 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय—2
गोजातीय प्रजनन प्राधिकरण

3. प्राधिकरण का गठन।
4. प्राधिकरण का मुख्यालय।
5. प्राधिकरण की बैठकें।
6. प्राधिकरण के कृत्य।
7. प्राधिकरण के विशेषज्ञ और अन्य कार्मिक।
8. प्राधिकरण की अधिकारिता और शक्तियां।

अध्याय—3
शुक्राणु केन्द्रों और वीर्य बैंकों का रजिस्ट्रीकरण तथा बैलों और प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों का प्रमाणीकरण

9. शुक्राणु केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण।
10. वीर्य बैंकों का रजिस्ट्रीकरण।
11. बैलों का प्रमाणीकरण।
12. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों का प्रमाणीकरण।
13. वीर्य के विक्रय का विनियमन।
14. द्विप्रतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र जारी करना।
15. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र का प्रतिसंहरण।

16. अपील।

अध्याय—4
प्राधिकरण की शक्तियां

17. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति।
18. अभिलेखों का अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण।
19. निदेश देने की शक्ति।
20. इस अधिनियम के उल्लंघन में आशंकित गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों की रोकथाम के लिए न्यायालयों को आवेदन करने की शक्ति।

अध्याय—5
अपराध और शास्तियां

21. शास्तियां।
22. अपराधों का संज्ञान।

अध्याय—6
प्रकीर्ण

23. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की रिपोर्ट।
24. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सहायता।
25. रिपोर्टें।
26. प्राधिकरण के विशेषज्ञों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।
27. अधिकारिता का वर्जन।
28. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
30. नियम बनाने की शक्ति।

————

2019 का अधिनियम संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 10 अप्रैल, 2019 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में गोजातीय वीर्य के उत्पादन के लिए गोजातीय प्रजनन बैलों के उपयोग, गोजातीय वीर्य के प्रसंस्करण, भण्डारण, विक्रय और वितरण तथा कृत्रिम गर्भाधान और गोजातीय के किसी अन्य प्रजनन क्रियाकलाप सहित गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों के विनियमन द्वारा गोजातियों के सुधार हेतु तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

————

अध्याय—1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''कृत्रिम गर्भाधान'' से, कृत्रिम उपायों द्वारा किसी व्यस्क मादा जननांग में गोजातीय वीर्य जमा करने हेतु अपनाई गई तकनीक और प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकरण'' से, धारा 3 के अधीन गठित गोजातीय प्रजनन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) ''प्राधिकृत वीर्यरोपक'' से, प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, प्रमाणित किए जाने वाला पशु चिकित्सक या सह–पशु चिकित्सक या प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकार अभिप्रेत है;

(घ) ''गोजातीय'' से, कोई गाय, बैल, बछिया, बछड़ा, भैंस, भैंसा और भैंस का कटड़ा या कटड़ी अभिप्रेत है;

(ङ) ''गोजातीय प्रजनक'' से, गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों में रत कोई व्यक्ति या संगठन या फर्म या अभिकरण अभिप्रेत है;

(च) ''गोजातीय प्रजनन'' से, गोजातियों के प्रजनन क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं, जिसके अन्तर्गत गोजातीय बैलों, वीर्य या भ्रूणों का उपयोग भी है;

(छ) ''प्रजनन नीति'' से, राज्य में पशुधन, विशेषतया गोजातियों के प्रजनन और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अधिसूचित पशुधन प्रजनन नीति अभिप्रेत है;

(ज) ''प्रमाणित बैल'' से, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित गोजातीय बैल अभिप्रेत है, जिसे किसी विशिष्ट गोजातीय नस्ल के वीर्य उत्पादन हेतु रखा गया है और जो ऐसे मानकों को पूर्ण करता है, जैसे विहित किए जाएं;

(झ) ''अध्यक्ष'' से, प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ञ) ''भ्रूण'' से, नर और मादा गोजातीय युग्मकों के विलय के परिणामस्वरूप विकसित कोई आकार अभिप्रेत है;

(ट) ''विशेषज्ञ'' से, ऐसा विशेषज्ञ अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूर्ण करता है;

(ठ) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ड) ''मिथ्या छाप वाला वीर्य'' से, ऐसा वीर्य अभिप्रेत है, जिसका डीऑक्सीराइबोस नयुक्लिक अम्ल प्रोफाईल वीर्य बैंक या वीर्य नली के अभिलेख में वर्णित बैल के डीऑक्सीराइबोस नयुक्लिक अम्ल प्रोफाइल से मेल नहीं खाता है;

(ढ) ''सह–पशु चिकित्सक''से, मुख्य पशु–चिकित्सा औषधि योजक (चीफ वैटर्नरी फार्मासिस्ट), पशुपालन सहायक, पशु–चिकित्सा औषधि योजक (वैटर्नरी फार्मासिस्ट) या ग्राम पंचायत पशु–चिकित्सा सहायक अभिप्रेत है;

(ण) ''वंशावली'' से, बैल/मादा की आनुवंशिक पंक्ति को दर्शाती वंशिक जानकारी अभिप्रेत है;

(त) ''व्यक्ति'' से, कोई फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी (एल. एल. पी.), कम्पनी, संस्था, गैर–सरकारी संगठन, प्रजनकों का संगम, न्यास, केन्द्रीय या राज्य सरकार का विभाग, सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य अभिकरण/कृत्रिम विधिक व्यक्ति अभिप्रेत है;

(थ) ''परिसर'' से, कोई ऐसा स्थान, भूमि, प्रांगण, भवन या कोई अन्य स्थल अभिप्रेत है, जिसका उपयोग वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, व्यापार या उपयोगिता के लिए किया जाता है;

(द) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ध) ''मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला'' से, प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत क्षेत्रीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

(न) ''रजिस्ट्रार'' से, प्राधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(प) ''वीर्य'' से, बैल या भैंसे का किसी भी रूप में वीर्य या संसर्ग पृथक्कृत वीर्य अभिप्रेत है;

(फ) ''वीर्य बैंक'' से, कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जहां गोजातीय वीर्य का व्यापार या वितरण के लिए भंडारण किया जाता है;

(ब) ''सेवाओं'' से, गोजातीय प्रजनन की कोई ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(भ) ''शुक्राणु केन्द्र'' से, ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जहां गोजातीय वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए कोई सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है;

(म) ''अव–मानक वीर्य (सब स्टैंडर्ड सीमन)'' से, ऐसा वीर्य या वीर्य नलियां अभिप्रेत हैं, जो ऐसे मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं, जैसा विहित किया जाए; और

(य) ''पशु चिकित्सक'' से, भारतीय पशु–चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 52) में यथापरिभाषित रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है।

अध्याय– 2
गोजातीय प्रजनन प्राधिकरण

3. प्राधिकरण का गठन.–(1) सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा किसी प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे गोजातीय प्रजनन प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा।

(2) प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित से होगा, अर्थात्:–

(क) निदेशक, पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष;
(ख) निदेशक, भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्ज़तनगर या उसका प्रतिनिधि (जो प्रधान वैज्ञानिक की पंक्ति से नीचे का न हो)	सदस्य;
(ग) संयुक्त आयुक्त, (पशुपालन) पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य;

(घ) डॉ. जी.सी. नेगी पशु चिकित्सा और पशु–विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का संकायाध्यक्ष या उसका प्रतिनिधि, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो	सदस्य;
(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला ख्याति–प्राप्त पशु चिकित्सक	सदस्य;
(च) सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला ख्याति–प्राप्त गोजातीय प्रजनक	सदस्य;
(छ) संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), पशु–पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश	सदस्य; और
(ज) संयुक्त निदेशक (विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम) पशु पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश	सदस्य–सचिव।

(3) प्राधिकरण के कार्यकलापों को सदस्य–सचिव द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण नौ सदस्यों से अनधिक विशेषज्ञों से गठित एक परामर्शक पैनल बनाएगा। प्राधिकरण, विशेषज्ञों के पैनल में से तीन सदस्यों से अनधिक की समिति (समितियाँ) बनाएगा, जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जैसे प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों। ऐसी समिति (समितियों) के सदस्य ऐसे मानदेय, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

4. **प्राधिकरण का मुख्यालय.**—प्राधिकरण का मुख्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में होगा।

5. **प्राधिकरण की बैठकें.**—(1) प्राधिकरण की बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगी जैसी सदस्य–सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से अवधारित करे और ऐसी बैठकों में प्राधिकरण अपने कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसी विहित की जाए।

(2) किसी बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी।

6. **प्राधिकरण के कृत्य.**—इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे,—

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रजनन नीति बनाना और सेवाओं को कार्यान्वित करना;

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर या बाहर उत्पादित या किसी अन्य देश से आयातित वीर्य या भ्रूण के प्रसंस्करण, भंडारण, विक्रय और उपयोग को विनियमित करना;

(ग) गोजातीय बैलों जो ऐसे मानकों, जैसे विहित किए जाएं, को पूर्ण करते हैं, प्रमाणित करना;

(घ) इस अधिनियम के अध्याय–3 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में शुक्राणु केन्द्रों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(ङ) हिमाचल प्रदेश राज्य में वीर्य बैंकों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(च) हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राधिकरण द्वारा अधिकथित की गई समुचित मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से गोजातीय प्रजनन कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों को प्रमाणित करना; और

(छ) गोजातीय प्रजनन से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जैसे विहित किए जाएं।

7. **प्राधिकरण के विशेषज्ञ और अन्य कार्मिक.**—प्राधिकरण अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारिवृंद् के माध्यम से करेगा। यह पशु—चिकित्सा अर्हताएं और अनुभव, जैसा विहित किया जाए, रखने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों की ऐसी संख्या, जैसी इसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए यह आवश्यक समझें, को आउटसोर्स भी कर सकेगा या प्रतिनियुक्ति पर ले सकेगा।

8. **प्राधिकरण की अधिकारिता और शक्तियां.**—(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकरण की, गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों की बाबत, अधिकारिता संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन के लिए, प्राधिकरण या इसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के पास किसी शुक्राणु केन्द्र या गोजातीय प्रजनन कार्यकलापों में रत किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षित सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी।

(3) प्राधिकरण को, किसी परिसर, जहां गोजातीय प्रजनन से संबंधित कोई क्रियाकलाप किया जा रहा है, के प्रभारी व्यक्ति या जो उसकी राय में इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, से अपेक्षित ऐसी सूचना ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करने के लिए निदेश देने की शक्ति होगी, जैसी इसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

———————

अध्याय—3

शुक्राणु केन्द्रों और वीर्य बैंकों का रजिस्ट्रीकरण तथा बैलों और प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों का प्रमाणीकरण

9. **शुक्राणु केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण.**—(1) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ को और की तारीख से, प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण—पत्र अभिप्राप्त किए बिना कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य की मात्रा के उत्पादन और भंडारण या भ्रूण के उत्पादन और अंतरण हेतु किसी शुक्राणु केन्द्र को स्थापित और संचालित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी नए शुक्राणु केन्द्र को स्थापित और संचालित करने की वांछा रखता है, रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के साथ आवेदन करेगा।

(3) विद्यमान शुक्राणु केन्द का प्रभारी, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास के भीतर, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण—पत्र को प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के साथ आवेदन करेंगे। वे ऐसे अन्य ब्योरे सहित जैसे प्ररुप में अपेक्षित किए जाएं, वीर्य के चालू स्टॉक की घोषणा भी करेगा।

(4) नए शुक्राणु केन्द्र स्थापित करने का आशय रखने वाले या विद्यमान वीर्य केन्द्र के आवेदकों, जिन्होंने प्राधिकरण को विहित फीस के साथ आवेदन प्ररूप प्रस्तुत किया है, को इस धारा की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण—पत्र बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा। इसे आवेदक के लिखित में किए गए अनुरोध पर छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। प्राधिकरण विस्तारण की प्रास्थिति के बारे में एक मास के भीतर उत्तर देगा।

(5) आवेदक, नए शुक्राणु केन्द्र या विद्यमान शुक्राणु केन्द्र हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को निरीक्षण के लिए उपरोक्त बारह मास या छह मास की विस्तारित अवधि, जो भी लागू हो, के भीतर लिखित में अनुरोध करेगा। प्राधिकरण, तदुपरि, ऐसे निरीक्षण के लिए परामर्शक पैनल से विशेषज्ञों की एक समिति भेजेगा।

(6) प्राधिकरण का समाधान हो जाने के पश्चात् कि,–

(क) शुक्राणु केन्द्र के पास,–

(i) गोजातीय बैलों के करंतीन के लिए ऐसे परिसर हैं, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं;

(ii) बैलों के पालन–पोषण और आवास हेतु तथा वीर्य मात्राओं के संग्रहण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण, वितरण और करंतीन के लिए ऐसे परिसर हैं, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं; और

(iii) वीर्य मात्राओं के भंडारण के लिए ऐसे परिसर हैं, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं;

(ख) प्रत्येक बैल, जिसका वीर्य मात्रा के उत्पादन के लिए शुक्राणु केन्द्र में प्रयोग किया जाता है,–

(i) ऐसे परीक्षणों, जो प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं, का परीक्षण नकारात्मक पाया गया है,–

(क) करंतीन केन्द्र में इसके प्रवेश से पूर्व;

(ख) करंतीन केन्द्र पर करंतीन अवधि के दौरान;

(ग) पालन–पोषण केन्द्र पर पालन पोषण के दौरान; और

(घ) शुक्राणु केन्द्र पर;

(ii) केवल अनुमत्त नस्लों की ऐसी नस्ल विशेषताओं के अनुरूप हो जैसी प्रजनन नीति में विनिर्दिष्ट की जाए और जो मात्रा और गुणवत्ता के सन्दर्भ में विभिन्न विलक्षणताओं के ऐसे न्यूनतम मानकों, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और समय–समय पर यथा उपान्तरित और अधिसूचित किए जाएं, को पूरा करते हों;

(ग) शुक्राणु केन्द्र बैलों के सही ब्योरे अनुरक्षित करेगा, जिनकी वीर्य मात्रा को यह एक आरूप, जैसा विहित किया जाए, में कृत्रिम गर्भाधान के उत्पादन, भण्डारण, विक्रय, वितरण या वितरित करने हेतु प्रस्तावित करता है;

नए शुक्राणु केन्द्र या विद्यमान शुक्राणु केन्द्र को, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा जिसमें स्पष्टतया शुक्राणु केन्द्र का नाम और पता, शुक्राणु केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण नम्बर, वीर्य उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्रमाणित बैलों की विशिष्ट पहचान संख्या, शुक्राणु केन्द्र के प्रभारी का नाम और ऐसे निबंधन और शर्तें, जैसी यह उचित समझे, विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(7) इस धारा के अधीन शुक्राणु केन्द्र को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(8) शुक्राणु केन्द्र का प्रभारी प्राधिकरण को, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व, ऐसी फीस सहित, जैसी विहित की जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। प्राधिकरण का समाधान हो जाने के पश्चात् कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की बाबत उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन किया गया है, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर, रजिस्ट्रीकरण का दो वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण करेगा। यदि नवीकरण प्रमाण–पत्र तीन मास के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो, यदि अन्यथा संसूचित न किया जाए, अनुमोदन प्रदान किया गया समझा जाएगा।

(9) किसी नए गोजातीय बैल, जो वीर्य उत्पादन के मानकों को पूर्ण करता है, को वीर्य उत्पादन के लिए प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन और आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना शुक्राणु केन्द्र में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी प्रमाणित बैल की मृत्यु/बीनने के संबंध में प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(10) प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके रजिस्ट्रीकरण, प्रमाण–पत्र को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगा।

(11) प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए शुक्राणु केन्द्र के निरीक्षण हेतु, जब कभी यह चाहे किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार, विशेषज्ञों की एक समिति भेजेगा।

10. वीर्य बैंकों का रजिस्ट्रीकरण.–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को और से, कोई भी व्यक्ति, प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना वीर्य बैंक को स्थापित और संचालित नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

11. बैलों का प्रमाणीकरण.–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को और से कोई नया शुक्राणु केन्द्र प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित से अन्यथा, किसी गोजातीय बैल से कोई वीर्य उत्पाद कार्यान्वित नहीं करेगा।

(2) बैलों को, प्राधिकरण द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अध्यधीन प्रमाणित किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण, प्रत्येक प्रमाणित बैल के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या जनित करेगा और शुक्राणु केन्द्रों को इस विशिष्ट पहचान संख्या को हर समय प्रमाणित बैलों पर सुरक्षित रूप से और स्थायी रूप से टैग करना अनिवार्य होगा।

12. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों का प्रमाणीकरण.–प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों को प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रमाणित किया जाएगा।

13. वीर्य के विक्रय का विनियमन.–(1) कोई व्यक्ति, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति से अन्यथा, किसी भी अन्य व्यक्ति को वीर्य/भ्रूण का विक्रय या वितरण या दान या अंतरण नहीं करेगा।

(2) हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर उत्पादित किसी भी वीर्य/भ्रूण को हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर प्राधिकरण के ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जाएं, के अध्यधीन प्रदान किए जाने वाले पूर्वानुमोदन के सिवाय, कृत्रिम गर्भाधान/अंतरण हेतु विक्रीत, वितरित या दान किए जाने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) किसी भी वीर्य/भ्रूण को किसी अन्य देश से हिमाचल प्रदेश राज्य में, प्राधिकरण के ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जाएं, के अध्यधीन प्रदान किए जाने वाले पूर्वानुमोदन के सिवाय कृत्रिम गर्भाधान/अंतरण के लिए आयातित नहीं किया जाएगा।

14. द्विप्रतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना.—इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या कोई नवीकरण प्रमाण–पत्र यदि विकृत, गुम या नष्ट हो जाता है तो प्राधिकरण, समाधान हो जाने पर, आवेदक को ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के संदाय पर द्विप्रतिक प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकेगा।

15. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण.—यदि प्राधिकरण का, इस निमित्त किए गए संदर्भ पर या प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, समाधान हो जाता है कि,—

(क) इस अधिनियम के अधीन इस द्वारा किसी शुक्राणु केन्द्र को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथ्यों के दुर्व्यपदेशन या कपट से अभिप्राप्त किया गया है; या

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का धारक, युक्तियुक्त कारण के बिना उन निबंधनों और शर्तों, जिनके अध्यधीन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, का अनुपालन करने में असफल हो गया है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, जैसी विहित की जाएं;

तब प्राधिकरण किन्हीं अन्य कार्यवाहियों, जिनके लिए प्रमाण–पत्र का धारक इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के धारक को कारण बताओ का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात्,—

(i) इस अधिनियम के अधीन जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय या उसका नवीकरण करते समय किसी व्यक्ति पर कोई शर्त अधिरोपित की गई है और ऐसा व्यक्ति ऐसी शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या उसके नवीकरण को प्रतिसंहृत कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कदम उठाएगा, जैसे विहित किए जाएं; या

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या नवीकरण को तब तक निलंबित रखेगा जब तक प्रमाण–पत्र का धारक प्राधिकरण के समाधानप्रद समस्त अपेक्षित शर्तों की अनुपालना नहीं करता है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के धारक से इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने का वचनबंध लेगा।

16. अपील.—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को प्रदान करने या उसको नवीकृत करने से इन्कार करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को प्रतिसंहृत करने या निलंबित करने के प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकरण, जो पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक सचिव होगा, के समक्ष अपील कर सकेगा।

(2) अपील प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्रता से, किन्तु अपील की प्राप्ति के तीन मास के भीतर, अपील का विनिश्चय करेगा।

अध्याय–4
प्राधिकरण की शक्तियां

17. निरीक्षण तलाशी और अधिग्रहण करने की शक्ति.—(1) प्राधिकरण या इस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विशेषज्ञों की समिति के सदस्य, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के निबंधन और शर्तों या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत या निरीक्षण और जांच के प्रयोजन के लिए,—

(क) किसी परिसर में प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी कारित या संचालित कर सकेगा/सकेंगे। यदि उसके/उनके पास विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्यकलाप किया जा रहा है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है या प्रमाण–पत्र धारक, इस अधिनियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन में कोई कार्यकलाप कर रहा है; और

(ख) किसी शुक्राणु केन्द्र के परिसर से वीर्य उत्पादन में प्रयुक्त वीर्य, रक्त या किसी अन्य पदार्थ के नमूने एकत्रित कर सकेगा/सकेंगे और ऐसे नमूनों का किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषण करवा सकेगा/सकेंगे! वीर्य का समस्त स्टॉक, जो अप्रमाणित बैलों से एकत्र किया गया है, को तुरन्त नष्ट कर दिया जाएगा और ऐसे वीर्य प्रसंस्करण उपकरण को सीलबंद कर दिया जाएगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के जांच (तलाशी) और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक वे लागू हों, उपधारा (1) के अधीन तलाशी, सीलबंदी और अभिग्रहण के सम्बन्ध में लागू होंगे।

18. अभिलेखों का अनुरक्षण और प्रस्तुतिकरण.–(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र धारित करता है, अपने कारबार संव्यवहारों से संबंधित ऐसी बहियों, लेखों और अभिलेखों का अनुरक्षण ऐसे प्ररूप में करेगा, जैसा इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी शुक्राणु केन्द्र/वीर्य बैंक हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र धारित करता है, प्राधिकरण को शुक्राणु केन्द्र/वीर्य बैंक की बाबत, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, द्विप्रतिक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित नए बैलों की बाबत उनका वीर्य इस प्रकार प्रयोग में लाया जाएगा जो विहित किया जाए।

19. निदेश देने की शक्ति.–किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और ऐसे निदेश, जो इस निमित्त सरकार द्वारा दिए जाएं, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपने कृत्यों का पालन करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में कोई निदेश जारी कर सकेगा और, यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। इस धारा के अधीन निदेश जारी करने की शक्तियों के अन्तर्गत निम्न निदेशों की शक्ति भी होगी,–

(क) गोजातीय प्रजनन से संबंधित किसी परिचालन, प्रक्रिया या क्रियाकलाप को बंद करना, प्रतिषिद्ध करना या विनियमित करना; या

(ख) विद्युत, जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनियमित करना।

20. इस अधिनियम के उल्लंघन में आशंकित गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों की रोकथाम के लिए न्यायालयों को आवेदन करने की शक्ति.–(1) जहां प्राधिकरण द्वारा यह आशंका की जाती है कि कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या गैर–सरकारी संगठन इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में गोजातीय प्रजनन सेवाओं या वीर्य/भ्रूण के व्यापार और आपूर्ति में रत है, तो प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त व्यक्ति को उक्त क्रियाकलाप कार्यान्वित करने से रोकने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में शिकायत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को उक्त क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने से रोकने के लिए आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा यह उचित समझे।

———————

अध्याय–5
अपराध और शास्तियाँ

21. शास्तियां.–(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तो वह एक लाख रुपए के जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या तीन वर्ष तक के कठिन कारावास से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) इस प्रकार अधिरोपित जुर्माने को सम्बद्ध व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

22. अपराधों का संज्ञान.–(1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, प्राधिकरण द्वारा या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी शिकायत पर के सिवाय, नहीं लेगा।

(2) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन, अनधिकृत वीर्य या मिथ्या छाप वाले या अवमानक वीर्य का उत्पादन, कब्जा, वितरण, विक्रय, किसी भी रूप में अंतरण, आयात–निर्यात या उपयोग, संज्ञेय अपराध होगा।

———————

अध्याय–6
प्रकीर्ण

23. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की रिपोर्ट.–किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया कोई दस्तावेज, जिसका रिपोर्ट होना तात्पर्यित है, उनमें कथित तथ्यों को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा।

24. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सहायता.–समस्त स्थानीय प्राधिकरण, जैसे विहित किए जाएं, प्राधिकरण को ऐसी सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे, जैसी इसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित हो और ऐसे अभिलेख या दस्तावेज, जैसे आवश्यक हों, निरीक्षण और परीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएंगे।

25. रिपोर्ट.–प्राधिकरण सरकार को अपनी निधियों, क्रियाकलापों या नीतियों की बाबत ऐसी रिपोर्टें, आंकड़े और अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा, जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

26. प्राधिकरण के विशेषज्ञों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.–इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे या कार्य करने के लिए तात्पर्यित प्राधिकरण के समस्त विशेषज्ञों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 (1860 का 45) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

27. अधिकारिता का वर्जन.–किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे मामले में, जिसकी बाबत सरकार या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा संज्ञान लेने में और जो इसका निपटारा करने में सशक्त है और ऐसी रीति जिसमें सरकार या ऐसा व्यक्ति या प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन या द्वारा इसमें/उसमें निहित किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता हो, कोई अधिकारिता नहीं होगी।

28. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.–कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक और लोकहित में की गई या किए

जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारियों के विरूद्ध नहीं की जाएंगी।

29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

(2) सरकार, प्राधिकरण को ऐसे दिशानिर्देश जारी कर सकेगी, जैसे इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए यह उचित समझे।

30. नियम बनाने की शक्ति.—(1) सरकार, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जो किसी अन्य बात, जो विहित की जानी है या की जाए, के लिए उपबंध करे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम इनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, पन्द्रह दिन से अन्यून की अवधि के लिए रखे जाएंगे जो कि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या ठीक बाद के सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा ऐसे किन्हीं नियमों में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विधान सभा इस बात के लिए सहमत हो जाती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। तथापि, ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलीकरण, उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH BOVINE BREEDING ACT, 2019

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II

BOVINE BREEDING AUTHORITY

3. Constitution of the Authority.
4. Headquarter of the Authority.
5. Meetings of the Authority.
6. Functions of the Authority.
7. Experts and other personnel of the Authority.